

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

नवान ... राम ठिहं वगैरे ... बनाम ... मदन लाल वगैरे ...
कस्म मुकदमा ... 1 ... मुकदमा नं. F.T-69/249 सन् 2019


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर बज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
19/19	<p>प्राथमिकता की आटे से कमील शर्त विजय शर्मा ने प्रा०पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तगी ली गयी। प्रा०पत्र दर्ज राशि० किया जाये। स्वगत पर छद्म एक पक्षिपे कमील प्राथमिकता से लुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त पक्षकारान को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः उक्त पक्षकारान को अति अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेञ्ची तक पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम तपीपल्ला तहसील श्रीगणेशपुर जिला सीकर राजस्थान के भूक 100 नं० 63, 979/59, 984/96, 988/97, 990/64, 991/55 कुल किता-6 रकबा 2.79 हे० के मोका व रिपोर्ट की प्रथास्थिति बनाये रखे। उक्त आदेश रास्ता पर लागू बही होगा। 0-39-R-3 की पालना किया जाये। पत्रावली आदिना दिनांक 9-10-19 में पेश हो।</p>	<p>1771-74 13/9/19</p>

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

तारीख हुक्म

09/10/19

पत्रावली पैरा हुई। प्रकरण में बार-बार अपील
लगाई गई। काबूद आवाज लगवाने वकील
आपीगण अथवा प्रकाशन में ले कोई भी
हाजिर आमत नहीं आया है। अतः कार्यवाही
प्रकरण अदम हाजिरी एवं अदम पैवी में
खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमा
होकर नम्बर से कम हो तथा काय तकमील
दाखिल इफ्तार हो। निर्णय खुले न्यायालय में
पुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला